

सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला गोपनीय शाखा)

पत्रांक	२४१४	/सी	फोन नं०-०६१५२-२४०००१, २४०००२
दिनांक	२५	अगस्त, २०१७	फैक्स नं०-०६१५२-२४०००६ ई-मेल- dm-saran.bih@nic.in

संयुक्त आदेश

प्राप्त सूचनाकुसार गणेश चतुर्थी का त्योहार दिनांक २५.८.१७ से प्रारंभ होगा और इसका समापन दिनांक ५.९.१७ को होगा। यह त्योहार समाज के विभिन्न वर्गों विशेष रूप से हिन्दुओं द्वारा पूरी धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। विभिन्न स्थानों पर इसके लिये काफी समय पूर्व से तैयारी प्रारंभ हो जाती है और अस्थायी पंडाल स्थापित कर भगवान् गणपति की पूजा अर्चना की जाती है तथा त्योहार की समाप्ति के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन विभिन्न नदियों और तालाबों में किया जाता है। अति उत्साह में कुछ स्थानों पर नावों के माध्यम से प्रतिमाओं को नदी के बीच में ले जा कर विसर्जित किया जाता है।

ऐसा भी देखा गया गया है कि नाविकों के द्वारा अधिक फायदा प्राप्त करने के उद्देश्य से नाव की क्षमता से अधिक लोगों को बैठाकर नदी में फेंगी लगायी जाती है जिससे नाव अनियंत्रित होने से उसके ढूबने की संभावना बनी रहती है। विगत दिनों मकर संकान्ति के अवसर पर गंगा नदी में पतंग उत्सव से लौटते समय क्षमता से अधिक लोगों के नाव पर सवार हो जाने के कारण नाव ढूब गई थी। अतएव सभी अनुमण्डल पदाधिकारी इस पर सतर्क नजर रखना सुनिश्चित करेंगे एवं इस संबंध में नौका नियमावली-२०११ के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए आवश्यकताकुसार विभिन्न प्रतिमा विसर्जन घाटों पर तैराक दल के साथ साथ नाव/ नाविक एवं गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति भी करना सुनिश्चित करेंगे। जहां आवश्यकता हो वे NDRF/SDRF की अधियाचना भी समर्थन करेंगे।

इस पर्व पर जिला में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के निमित्त विनियोग आदेश दिए जाते हैं:-

१- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी, छपरा नगर निगम एवं नगर पंचायत अपने क्षेत्र में अवस्थित घाटों की समय पूर्व साफ सफाई करवाना सुनिश्चित करेंगे।

२- सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी एवं धाराध्यक्ष के साथ बैठक कर पूजा के आयोजकों के आयोजन स्थल को चिन्हित कर पर्याप्त संख्या में पालीवार दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पूजा स्थलों पर दिनांक २५.८.१७ को अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे एवं आवश्यकताकुसार दिनांक ५.९.१७ तक प्रतिनियुक्त रहेंगे। प्रतिमा विसर्जन के दिन प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी के लिए विभिन्न घाटों पर अस्थायी शिविर/ कुर्सी / लाउड रूपीकर आदि की व्यवस्था संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

३- प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी प्रतिमा विसर्जन स्थलों पर लगातार झमणशील रहकर विधि-व्यवस्था का संधारण सुनिश्चित करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि घाट पर जहाँ प्रतिमाओं का विसर्जन होता है वहाँ शान्ति व्यवस्था बनी रहे।

4- नदियों/ पोखर/ तालाब में कहीं-कहीं गहराई अधिक होने के कारण दुर्घटना की संभावना होती है। अतएव संबंधित अंचल अधिकारी समय पूर्व ऐसे खतरनाक स्थलों को चिह्नित करते हुए आवश्यकतानुसार बैरिकेंडिंग करवा कर बल्ले को रंगवाते हुए उस पर लाल झाण्डी लगा देंगे। वहां प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी सुरक्षित क्षेत्र में ही प्रतिमा विसर्जन की सूचना लाउड स्पीकर के माध्यम से देते रहेंगे। कठाव के कारण खतरनाक घाटों को पूर्व से ही चिह्नित कर लिया जाय और उन पर जाने का गार्ग निषिद्ध कर दिया जाय ताकि कोई दुर्घटना नहीं होने पाये।

5- प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान आयोजकों द्वारा घाट पर जाने के लिए छोटी एवं भारी वाहनों का उपयोग किया जाता है। ये सभी वाहन प्रायः घाट के आस-पास ही खड़े कर दिये जाते हैं जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है एवं आवागमन में भी कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति से निपटने हेतु सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी घाट के आस-पास स्थल चिह्नित कर पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ऐसी स्थिति में संबंधित थानाध्यक्ष आवागमन के रास्ते में लगातार झमणशील रहेंगे।

6- इस पर्व के अवसर पर यदा-कदा लोगों के झूबने की घटनायें भी घटित हो जाया करती हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिमा विसर्जन वाले स्थलों पर तैराको/ गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति आवश्यक है। सभी अंचल अधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, छपरा एवं परिचारी प्रवर, पुलिस लाईन, छपरा से समव्यय स्थापित कर इस दिशा में कार्यवाई करना सुनिश्चित करेंगे। इस विभिन्न प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, छपरा एवं परिचारी प्रवर, पुलिस लाईन, छपरा को निर्देशित किया जा रहा है।

7- सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिमाओं के विसर्जन के दिन किसी भी परिस्थिति में विभिन्न नदियों में निजी नावों का परिचालन नहीं हो।

जिला नियंत्रण कक्ष:

जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटा सतत कार्यरत रहेगा जिसका दूरभाष संख्या 06152-242444 है। अनुमण्डल पदाधिकारी सोनपुर एवं मढ़ौरा अपने-अपने अनुमण्डल कार्यालय में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित कर पर्याप्त संख्या में दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी/ बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, छपरा - 9473191269 और अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर- 9431800075 रहेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, छपरा जिला नियंत्रण कक्ष हेतु पालीवार पदाधिकारी एवं कर्मी की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी मढ़ौरा एवं सोनपुर अनुमण्डल से भी लगातार सम्पर्क में रहकर प्राप्त सूचनाओं पर नियमानुकूल कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, छपरा नियंत्रण कक्ष में पर्याप्त संख्या में कुर्सी, वाहन, प्रकाश, वीडियोग्राफर सहित पालीवार पदाधिकारी, कर्मी एवं अनुसेवी की प्रतिनियुक्ति भी सुनिश्चित करेंगे।

स्वास्थ्य:

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सारण यह सुनिश्चित करेंगे कि रोस्टर के अनुसार चिकित्सक एवं पारामेडिकल रुफ द्वारा अस्पताल सहित प्रसंग/ ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केब्ड/ उपकेब्ड पर उपस्थित रहें।

विद्युत व्यवस्था:

विद्युत कार्यपालक अभियंता गणपति महोत्पस के अवसर पर अनवरत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर विद्युत तार

लूज नहीं हों और खम्भे टूटे/ क्षतिग्रस्त नहीं हों ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होने पाये।

सामान्यः

1- जिला अग्निशाम पदाधिकारी, सारण एक-एक फायर टेंडर दिनांक 25.8.17 से 5.9.17 तक जिला नियंत्रण कक्ष, अनुमण्डल नियंत्रण कक्ष सोनपुर एवं मढ़ौरा में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

2- आयोजकों द्वारा विद्यार्थियों, बीमार व्यक्तियों तथा अन्य समुदाय के लोगों की भावना का ध्यान दिए बगैर रात-दिन उचे एवं कर्णभेदी स्वर में लाउडस्पीकर बजाया जाता है और कई बार देर रात्रि तक गीत/ संगीत का प्रसारण किया जाता है जो अवैधानिक है। The Bihar Control of the Use and Play of Loudspeakers Act-1955 की धारा 4 के अंतर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी को इसको नियंत्रित करने की शक्तियाँ प्रदत्त हैं। परन्तु आम तौर पर इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत सुनिश्चित करेंगे कि रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल नहीं हो।

3- सभी थाना प्रभारी खैरियत रिपोर्ट वितन्तु/ दूरभाष से जिला नियंत्रण कक्ष को समय पर देना सुनिश्चित करेंगे।

4- इस अवसर पर जितने भी पदाधिकारी/ बल प्रतिनियुक्त हैं, उनके द्वारा यदि किसी प्रकार की छिलाई यदि बरती जाती है तो कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। अतः सभी पदाधिकारी अपने अपने कर्तव्य का पालन चुस्ती एवं मुस्तैदी से करेंगे।

5- सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी खैरियत प्रतिवेदन वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, छपरा को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि सतर्कता पूर्वक विधि व्यवस्था संधारण करेंगे जिससे कि गणपति महोत्सव हर्षोल्लास एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो सके।

८५/८
८५/८

पुलिस अधीक्षक
सारण,छपरा

~~जिलाधिकारी~~
सारण,छपरा

ज्ञापांक २४१८ / सी छपरा, दिनांक २५ अगस्त, २०१७

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा/ प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, मुजफ्फरपुर/ पुलिस उप महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- पुलिस अधीक्षक(जी) विशेष शाखा, बिहार, पटना।
- 4- सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/ सदर/ सोनपुर एवं मढ़ौरा, विशेष शाखा एवं जिला समादेष्य, गृह रक्षा वाहिनी, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

- 5- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 6- प्रतिलिपि प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा/ परिचारी प्रवर्द्ध, पुलिस लाइन, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 7- सभी अंचल अधिकारी/ पुलिस नियीक्षक/ थानाध्यक्ष सारण को सूचनार्थ।
- 8- परिचारी प्रवर/ जिला अग्निशाम पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ।
- 9- कार्यपालक तिवृत अभियंता पूर्वी एवं पश्चिमी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 10- कार्यपालक पदाधिकारी, छपरा नगर निगम, एवं सभी नवार पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 11- प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं जिला की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

पुलिस अधीक्षक
सारण, छपरा

जिलाधिकारी
सारण, छपरा

(५)